न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री महेश गगोरिया (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 38 / 2022
दायर दिनांक : 06 / 07 / 2022
निर्णय दिनांक : 10 / 12 / 2025

उनवान

1. भगवतसिंह पिता नन्दसिंह निवासी रायपुरियाकलां तहसील भूपालसागर **प्रार्थी**

बनाम

1. लाली उर्फ विनोद कुंवर पत्नी शैतानसिंह निवासी रायपुरियाकलां तहसील भूपालसागर
2. मगा उर्फ प्रीतिकुंवर पत्नी किशनसिंह बडवा निवासी झडोल तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भूपालसागर
4. उप पंजीयक, भूपालसागर
5. पटवारी पटवार हल्का रायपुरिया कलां तहसील भूपालसागर

अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री पवन जायसवाल, अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री लक्ष्मीशंकर जाट, अधिवक्ता अप्रार्थी

: : निर्णय : :

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के प्रस्तुत किया, प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार हैं :

यह कि प्रार्थी ने वादपत्र न्यायालय आप में पेश किया है जो अवश्य ही डिक्री होगा लेकिन मूल वाद के निस्तारण में समय लगेगा इस कारण अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। यह कि मौजा रायपुरियाकलां तहसील भूपालसागर के खाता सं. 297 के हाल आराजी सं. 226, रकबा 0.83 है., आ.सं. 2282 / 509 रकबा 0.02 है., आ.सं. 233 रकबा 0.36 है., आ.सं. 234 रकबा 0. 35 है., आ.सं. 235 रकबा 0.13 हे., आ.सं. 499 रकबा 0.02 हे., आ.सं. 516 रकबा 0.09 है., किता 7 रकबा 1.80 है. स्थित है। तथा खाता सं. 219 हाल आ.सं. 1752 रकबा 0.28 है., आ.सं. 1755 रकबा 0.37 है., आ.सं. 1756 कबा 0.31 है. आ.सं. 1759 कबा 0.03 है., आ.सं. 1760 रकबा 0.18 है. आ.सं. 1761 रकबा 0.25 है. किता 6 रकबा 1.42 है. स्थित है वजह सबूत हाल जमाबंदी संलग्न है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का सजरा प्रार्थना पत्र में अंकित है। प्रार्थना पत्र की कॉलम सं. 2 में वर्णित आराजियात मौरूसी जायदाद होकर प्रार्थी का जन्म से ही जायदाद में बराबर हक अधिकार हिस्सा है इस प्रकार उपरोक्त वर्णित आराजियात में प्रार्थी का 1 / 6 हिस्सा बनता है तथा अप्रार्थी सं. 1 व 2 का भी 1 / 12, 1 / 12 वां हिस्सा बनता है। प्रार्थी अपने हक हिस्से अनुसार काबिज हो आराजियात का उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है लेकिन अप्रार्थी सं. 1 व 2 तथा इनकी माता राजकुंवर ने रघुनाथबाई का एक फर्जी वसीयत तैयार करवा ली। इसी दौरान राजकुंवर पत्नी सोहनसिंह की तबीयत खराब रहने लगी जिस कारण अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने अपनी माता राजकुंवर से अपने पक्ष में वसीयत लिखा ली लेकिन वसीयतग्रहिता राजकुंवर वसीयतशुदा आराजियात को ग्रहण किये बिना ही रघुनाथबाई के जीवित रहते ही राजकुंवर की मृत्यु हो गयी तथा राजकुंवर की मृत्यु हो जाने के पश्चाज रघुनाथबाई की सेवा चाकरी प्रार्थी ने ही की। रघुनाथबाई की भी मृत्यु दिनांक 30.04.2022 को हो गई। रघुनाथबाई के द्वारा राजकुंवर के पक्ष में की गई वसीयत की आड में वसीयत अनुसार नामान्तरण अपने पक्ष में खुलवाना चाहती है केवल मात्र प्रार्थी को नुकसान पहुंचाने की नियत से नुमाईशी दस्तावेज तैयार कराया गया है और दस्तावेज पूर्णतया प्रभाव शून्य है। विवादित आराजियात अविभाजित होकर मौरूसी आराजियात है जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का हक अधिकार हिस्सा है जिसे अप्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 1 व 2 विवादित आराजियात को खुर्दबुद करना एवं हडपना चाहते हैं जिनका की अप्रार्थीगण को कोई हक अधिकार नहीं है प्रार्थी अपनी माता रघुनाथबाई के जीवित रहते हुऐ अपने हक हिस्से की आराजियात पर काबिज हो फसल ... एवं उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपनी माता राजकुंवर से वसीयत लिखाई है जो प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2026.02.02 14:15:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

की मौरूसी जायदाद को धोका व छलकपट से प्राप्त करना चाहती है। राजकुंवर के द्वारा की गई वसीयत का नाजायज फायदा उठा रघुनाथबाई की आराजियात का अपने नाम पर नामान्तरण खुलवा विवादित आराजियात में अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करा कर हस्तान्तरण करने पर आमादा है जिस कारण अप्रार्थी सं. 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावे कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित आराजियात को अन्य किसी व्यक्ति को रहन, बह, बक्षीस, विक्रय, वसीयत नहीं करे तथा अप्रार्थी सं. 3 राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन नहीं करें, नामान्तरण भी नहीं खोले ऐसा कृत्य न तो अप्रार्थीगण स्वयं करें और न ही किसी अन्य व्यक्ति, नौकर, एजेण्ट, परिवारजन तथा अपने अधिनस्थ कर्मचारीगण से करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री लक्ष्मीशंकर जाट ने अधिकार व जवाब पेश किया। जवाब में सारांशतः अंकित किया कि कॉलम 2 व 3 अस्वीकार है। कॉलम 4 अस्वीकार है। अप्रार्थिया सं. 1 व 2 की माता राजकुंवर के पक्ष में दिनांक 7.4.2008 को 100 रूप्ये के स्टाम्प पर वसीयत राजकुंवर के पक्ष में निष्पादित की। स्वर्गीय रघुनाथकुंवर की सेवा चाकरी ईलाज भरण पोषण अप्रार्थी सं. 1 व 2 की माता राजकुंवर द्वारा ही किया गया है शेष वारिसों द्वारा सेवा चाकरी ईलाज भरण पोषण नहीं करने केकारण स्व. रघुनाथ कुंवर नेअपने समसत चल अचल सम्पत्ति अपनी जाईन्दा पुत्री राजकुंवर के पक्ष में अपने जीते जी अपनी पुत्रियों के नाम वसीयत निष्पादित की इस प्रकार प्रार्थना पत्र में वर्णित समस्त आराजियात की मालिक अप्रार्थी सं. 1 व 2 ही हैं वर्तमान विवादित आराजियात स्व. रघुनाथकुंवर के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तथा नामान्तरण खुलवाने बाबत पत्रावली तहसीलदार के न्यायालय में नामान्तरण प्रार्थना पत्र विचाराधीन है जिसमें रोकने की नियत से झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त आराजियात के संबंध में तहसीलदार की अदालत में वारिसों की जांच कर नियमानुसार नामान्तरण खुलवाने बाबत प्रार्थना पत्र अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा पेश किया गया जिसमें कार्यवाही रोकने व बाधित करने की नियत से मनगढंत तथ्यों का प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज योग्य है एक्सपार्टी स्थगन होने से नामान्तरण की कार्यवाही रूकी हुई है वारिसों की जांच कर नामान्तरण हेतु कार्यवाही तहसीलदार के पास विचाराधीन है प्रार्थी अपना पक्ष वहां रख सकता है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो का दोहरान कर वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक दिये जाने का निवेदन किया वकील अप्रार्थी ने जवाब में अंकित तथ्यानुसार प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली व दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के तथ्य अनुसार प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन साबित नहीं कर पाऐ है तथा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी एवं न्यायिक दृष्टांत से प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं पाया जाता है एवं उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं पाया जाता है। अतः वकील प्रार्थी की बहस पर मनन के पश्चात प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.012.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। पत्रावली प्रार्थना पत्र मूल वाद के संलग्न रहे।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर, जिला-चित्तौड़गढ़

(महेश गागोरिया)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2026.02.02 14:15:39 IST
Reason: SelfAttested